

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा (राज.)

क्रमांक: 19

दिनांक: 06-3-24

//रिमाण्ड ड्यूटी बाबत संशोधित कार्यालय आदेश//

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-15(1)में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुझ स्नेहा जाखड आर.जे.एस. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दौसा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, बैंच जयपुर के पत्र क्रमांक RHCB/Reg(c)/jic/2024/48 दिनांक 02.03.2024 एवं माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, दौसा के पत्र क्रमांक स्था./2024/2413 दिनांक 04.03.2024 की पालना में इस कार्यालय के आदेश क्रमांक: 17 दिनांक 28.02.2024 में आंशिक संशोधन करते हुए माह मार्च, 2024 में पुनीत सोनगरा प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, दौसा की दिनांक 10 मार्च, 2024 की रिमाण्ड ड्यूटी निरस्त करते हुए इनके स्थान पर श्री मनोज कुमार अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महवा दौसा को दिनांक 10 मार्च, 2024 की रिमाण्ड ड्यूटी के लिए अधिकृत किया जाता है।

नोट:-शेष आदेश यथावत रहेगा।

-एसडी-

(स्नेहा जाखड)


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
दौसा, जिला-दौसा (राज.)

क्रमांक:- 565

दिनांक:- 06-3-24

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है:-

- 01- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, दौसा
- 02- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, दौसा वास्ते सूचित करने समस्त आरक्षी केन्द्र
- 03- सम्बन्धित अधिकारी सर्व श्री .....
- 04- प्रोटोकॉल अधिकारी, जिला न्यायालय दौसा
- 05- लोक अभियोजक, जिला न्यायालय दौसा
- 06- अध्यक्ष/सचिव बार एसोसिएशन, न्यायालय परिसर दौसा
- 07- उप-निदेशक, अभियोजन विभाग दौसा
- 08- प्रभारी अधिकारी, पुलिस कंट्रोल रूम दौसा
- 09- जिला कारागृह दौसा
- 10- सिस्टम ऑफीसर जिला न्यायालय दौसा सभी पीठासीन अधिकारियों एवं न्यायालय को मेल करें तथा जिला न्यायालय दौसा की बेवसाईट पर इस आदेश को अपलोड करें।
- 11- आदेश पत्रावली/नोटिस बोर्ड

  
(स्नेहा जाखड)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
दौसा, जिला-दौसा (राज.)